भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2261

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025

एनएमडीएफसी द्वारा संवितरित ऋण

2261. श्रीमती साजदा अहमद

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वितरित ऋण की कुल राशि कितनी है तथा कितने लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि ऋण सहायता वास्तविक एवं पात्र अल्पसंख्यक उद्यमियों तक पहुंच रही है;

(ग) पांच वर्षों के बाद भी चालू एवं संधारणीय बने हुए एनएमडीएफसी द्वारा वित्तपोषित स्वरोजगार उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) समय पर ऋण चुकौती सुनिश्चित करने तथा उद्यमी उपक्रमों के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल सहित एनएमडीएफसी द्वारा वित्तपोषित युवा स्टार्टअप्स की सफलता दर कितनी है तथा दीर्घावधि में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 2347.15 करोड़ रुपये का रियायती ऋण वितरित किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के 5,50,939 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

(ख): एनएमडीएफसी के पास रियायती ऋण के वितरण के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

i. व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा परिभाषित अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विशेष रूप से बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख से संबंधित होने चाहिए।

ii. व्यक्ति की क्रेडिट लाइन-1 के तहत 3.00 लाख रुपये तक और क्रेडिट लाइन-2 के तहत 8.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए।

आवेदकों को उपर्युक्त पात्रता मानदंडों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एनएमडीएफसी की संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) द्वारा एक बहुस्तरीय जांच तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन, पृष्ठभूमि जांच और साइट निरीक्षण शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण सहायता प्रभावी रूप से वास्तविक और योग्य अल्पसंख्यक उद्यमियों तक पहुंच रही है।

इसके अलावा, स्वीकृत राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के केवाईसी-प्रमाणित खातों में भेजी जाती है।

(ग): एनएमडीएफसी नियमित रूप से देश भर में प्रभाव अध्ययन कराने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों को नियुक्त करता है। ये अध्ययन लक्षित लाभार्थियों पर एनएमडीएफसी की योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तपोषित लाभार्थियों और इकाइयों के संबंध में इसके ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं और इकाइयों की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 में किए गए अध्ययन के अनुसार, देश भर में 90% वित्तपोषित इकाइयां संचालनात्मक एवं सतत पाई गई। अधिकांश राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (SCA) ने जमीनी स्तर पर 70% से 100% तक की वसूली दर की सूचना दी है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये इकाइयां सतत और लाभदायक उद्यम हैं, जो लाभार्थियों को समय पर पुनर्भुगतान करने में मदद करती हैं।

(घ): वास्तविक लाभार्थियों को ऋण देने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) द्वारा निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एनएमडीएफसी वर्तमान में एससीए से उच्च दंडात्मक ब्याज वसूल रहा है। उच्च दंडात्मक ब्याज से बचने के लिए एससीए द्वारा कोई भी अप्रयुक्त राशि एनएमडीएफसी को वापस करना आवश्यक है। इससे एससीए द्वारा लाभार्थियों को तीन महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण वितरित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

इसके अलावा, ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, एससीए को 0.5% ब्याज में छूट दी जाती है। इससे एनएमडीएफसी को सावधि ऋण योजना के तहत 96.26% और सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 99.33% की उच्च ऋण पुनर्भुगतान दर (28 फरवरी, 2025 तक) बनाए रखने में मदद मिली है।

(ङ): जहां तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) का सवाल है, यह केवल सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त, शिक्षा ऋण और विरासत योजना जैसी योजनाओं को लागू करता है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं और महिलाओं को शिक्षा के उद्देश्य और स्वरोजगार आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके सशक्त बनाया जा सके। एनएमडीएफसी की योजनाओं को पश्चिम बंगाल, संघ राज्य प्रशासनों सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के साथ-साथ पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक जैसे बैंकिंग भागीदारों के माध्यम से लागू किया जाता है।

नियमित रूप से किए गए तृतीय पक्ष प्रभाव अध्ययन के अनुसार, 90% से अधिक वित्तपोषित इकाइयां संचालनात्मक और सफल पाई गई हैं।

****